उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2004 के अन्तर्गत उचित दर दुकानों से उनके अनुबन्ध पत्र सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भरवाया जाता है। अनुबन्ध पत्र की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व उचित दर विक्रेता का होता है और उसका उल्लंधन करने पर उचित दर दुकानदार का अनुबन्ध पत्र नियमानुसार निलम्बित/निरस्त किये जाने की व्यवस्था है। सक्षम प्राधिकारी के किसी ऐसी आदेश, जिसके द्वारा उचित मूल्य की दुकान के अनुबन्ध को निलम्बित या रद्द किया गया हो, व्यथित कोई अभिकर्ता आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित मण्डलायुक्त के यहॉ अपील कर सकता है। उचित दर विक्रेता उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2004 की धाराओं अथवा अनुबन्ध पत्र की शर्तो का उल्लंधन का दोषी होने पर उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उचित दर की दुकान की रिक्तता होने पर व्यक्तियों/महिलाओं द्वारा स्वीकृत आरक्षण के सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

- ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति ग्राम सभा के अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर सम्बन्धित एस0 डी0 एम0 द्वारा की जाती है।

- शहरी क्षेत्र में उचित दरों की दुकानों की नियुक्ति जिलााधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन सामिति द्वारा की जाती है, जिसमें लॉटरी प्रक्रिया से उचित दर की दुकान की नियुक्ति की जाती है।

- दुकानों की नियुक्ति संविदा पर होती है, जिसमें नियुक्ति उचित दर विक्रेता तथा जिलापूर्ति अधिकारी/एस0 डी0 एम0 के मध्य अनुबन्ध पत्र भरा जाता है।

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में दुकानों की नियुक्ति के स्थिति में अभ्यर्थी को रूपया 5000 की प्रतिभूति जमा करनी होती है एवं रूपया 100 का नान 'जुडीशियल स्टैम्प पेपर लगना होता है

- ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर की दुकान का निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही एस0 डी0 एम0 द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा की जाती है।

- एस0 डी0 एम0/डी0 एस0 ओ0 के आदेशो के विरूद्व आपील मण्डलायुक्त के न्यायालय में की जाती है।